"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 जून 2002—ज्येष्ठ 28, शक 1924

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक 537/बी. 14/12/2002/14-2.—बीज अधिनियम, 1966 (अधिनियम संख्या 54 सन् 1966) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रमाणीकरण एजेंसी को सौंपे गये कृत्यों को क्रियान्वित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन करता है. इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग या उनका प्रतिनिधि, छ. ग. शासन	सदस्य
4.	उपायुक्त (बीज) भारत शासन कृषि मंत्रालय	सदस्य
5.	संचालक, कृषि संचालनालय, कृषि छ. ग. राज्य	सदस्य

6.	संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
7.	विभागाध्यक्ष पौध प्रजनन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक अथवा उनका प्रतिनिधि (अपर संचालक कृषि) (बीज) छ. ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड.	सदस्य
9.	प्रगतिशील कृषक (छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र)	सदस्य
10.	प्रगतिशील कृषक (बस्तर का पठार)	सदस्य
11.	प्रगतिशील कृषक (उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र)	सदस्य
12.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर	सदस्य-सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.